

उत्तर प्रदेश असाधारण ग्रन्थ, १२०८, १०५६३ (पृष्ठ २१, १८९५ वर्ष संग्रह)

२७/८, १९८० ई०

सं० ३८४४/१४-ख---२० (३०४)---६६ - अधिकृत ग्रन्थ ४०६३ (२) १४ वा, फ़िल्म ३० ई०; २५३०/१२३ (२) ६१४-ख-६६, दिनांक ४ कर्जरी, १९६७ तथा २३ (२) १४ वा-६३ फ़िल्म २५३०/१२३, कॉम्पनी का "क" ने चिन्हित भूमि को, इडियन फारेस्ट एक्ट, १९२७ (एक्टपा १६, १९२७) के अधीन घृणित धन दाताने का प्रस्ताव दिया गया था,

और, उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत न किया उक्त एक्ट द्वारा निर्दिष्ट अद्यता समाप्त हो गयी है;

और, ऐसे दावे स्वीकार किये गये हैं, तथा अनुसुन्दर में दी गयी सीमा तक दियायते दी गयी हैं;

अतएव, अब, उपर्युक्त एक्ट की धारा २० के अधिकारों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि को, दिनांक ११ मार्च, १९७१ से रक्षित बन धोने हैं और यह यह यह चिन्हित करते हैं कि उक्त अनुसूची "ब" में उल्लिखित गांवों को, अनुसूची में दी गयी सीमा तक पक्कार और दियायते, ऐसी गांवों में उक्त धनों के ऐसे भागों में और नियमों के अधीन जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रित किए जायें, वरावर मिलती रहेंगी।

दुर्दृश्यों "क"

जाफरान वेस्ट दुर्दृश्यत वन  
स्थिति एवं अक्षय ३८१२.८८ एकड़

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	लसरा प्लाट नम्बर	क्षेत्रफल	सीमायें
------	-------	-------	-------	------------------	-----------	---------

क्र.	१	२	३	४	५	६	७
क्रिजनौर	नजीबाबाद	नजीबाबाद	मोटाड़ा भाग	२४२/१	२११५०	वी० दि० दि० ✓	
				२६६	८११०		
				२७५	३७०००		
				२८७/१	३७०६०		
				३०५ अरि ३०६	१८०१२०		
				३०७/२-पि०	१०५०००		
				३०८ ते ३०९	१४५०१५०		
				गोग	१६६२५०२०		
				अदादा	११४०	६६ एकड़	
				२८६	१५५०७०		
				३०१०	१३०००		
				८३११५०	८८०००		
				३४४-पि०	८८११५०		
				१६	२०७१५०		
				गोग	१२६६०५०		
				अदादा	८५३८०	एकड़	

नजीबाबाद	२८६	१५५०७०
	३०१०	१३०००
	८३११५०	८८०००
	३४४-पि०	८८११५०
	१६	२०७१५०

प्रशासनिक दस्तावेजिकारी

क्रिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

नजीबाबाद	५४	१०५८००२०
	८०५ भाग	८३६०००
	८६३६००	५७११२०
	८८११५०	८८११२०
	१२११५०	८८११२०
	८६३६००	३०१०
	८८११५०	११००

नजीबाबाद	५४	१०५८००२०
	८०५ भाग	८३६०००
	८६३६००	५७११२०
	८८११५०	८८११२०
	१२११५०	८८११२०
	८६३६००	३०१०
	८८११५०	११००

परियोजना निदेशक /Project Director  
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  
National Highway's Authority of India  
पी०आई०य०० नजीबाबाद, जिला-क्रिजनौर (यू.पी.)  
PIU- Najibabad, Distt.-Bijnor (U.P.)

Divisional Director  
Social Facility Division

२७ जुलाई, १९७० ई०

सं० १७६८/१४-ख--२० (१४८)-६६--विजयी संख्या वी-४०६३(२)/१४-ख, विनांक ३० अगस्त, १९६०, सं० ३३(२)५६/१४-ख-६६, विनांक ४ फरवरी, १९६७ तथा सं० २३(२)८०/१४-ख-६६, विनांक ५ जनवरी, १९६८ द्वारा, संलग्न अनुसूची "क" में निर्दिष्ट भूमि को, इन्हियन कारेस्ट एक्स्ट, १९२७ (एक्स्ट संख्या १६, १९२७) के अधीन, रक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था;

और, रक्ष भूमि में अधिकारों के बावें को प्रस्तुत करने के लिये उक्त एक्स्ट द्वारा निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गयी है;

और, ऐसे द्वावे स्वीकार किये गये हैं, तथा अनुसूची "ख" में वी गयी सीमा तक रियायतें वी गयी हैं;

अतएव, अब, उपर्युक्त एक्स्ट की धारा २० के अधीन अनुसूची गांगों को, शाजदाल उक्त अनुसूची "क" में उन्निवार भूमि को, विनांक २१ जनवरी, १९३१ से रक्षित वन घोषित करते हैं और यह भी विजयी करते हैं कि अनुसूची "व" में उन्निवार भावों को, अनुसूची में वी गई सीमा तक अधिक, और रियायतें, ऐसी अनुभूओं में, उक्त बनों के ऐसे भागों में और ऐसे नियमों के अधीन जो समय-समय पर राज्य सरकार हारा नियत किये जायें, अरावर मिलती रहेंगी :

अनुसूची "क"

जाकरावाद ईस्ट सुरक्षित वन

विधित एवं क्षेत्रफल

३१/७/१९७०

क्र.सं.	संक्षेप	परियना	प्राप्ति	वायरा एक्स्ट	क्षेत्रफल	सीमाएँ
१	२	३	४	५	६	७

निजनोर	नजीबाबाद	नजीबाबाद कौडिया (भाग)	वी० वि० वि०
		२२	२१ ० ०
		२४	१२६ १७ ०
		२६	३२८ १५ ०
		३०-ए०	० १२ ०
		३१-मि०	४ ० ०
		३२-मि० भाग	६७ १ ०
		३२-मि० भाग	१६१ ३ ०
		३३	० २ ०
		योग ..	७१६ १० ०
			अयवा ४४६.६६ एकड़

साइंवाला (भाग)	४/१	४	१७	०
	५	१६	१६	०
	११ से १३	२१	५	०
	१४/१	६००	१५	०
	१५/३-मि० भाग	३२२	३	०
	१५/३-मि० भाग	१२	१४	०
	१६	४	२	०
	योग ..	६८५	१२	०
		अयवा ६१६.२० एकड़		

बिजारखाता (भाग)	४-मि०	१२८२	१३	०
	५/३-मि०	२	३	०
	६/१-मि०	२७१	६	०
	६/२-मि०	५८	६	०
	७ से २२	१,५३४	४	०
	२३/१ और २	२	१६	०
	२४ से ४० भाग	१६६	१३	०
	४० भाग	०	०	

परियोजना निदेशक /Project Director  
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  
National Highways Authority of India  
पी०आई०य० नजीबाबाद, जिला-बिजनोर (यू.पी.)  
PIU- Najibabad, Distt.-Bijnor (U.P.)

प्रभागीय वनाधिकारी  
बिजनोर वन प्रभाग, नजीबाबाद

Divisional Director  
Social Forestry Division  
BIJNOR